

न्यायालय आर्बिट्रेटर (जिला कलक्टर) नागौर
पीठासीन अधिकारी-दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस.

भूमि अवाप्ति मध्यस्थता प्रार्थना पत्र संख्या-24/2019

प्रार्थी
परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय
राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन
इकाई, सीकर, पीपराली सर्किल के पास,
प्लॉट नम्बर 187 व 188 विनायक विहार,
झुंझुनु बाई पास रोड, सीकर (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थीगण

- 1-सुनिल उर्फ कालू पुत्र श्री श्याम जांगीड,
जाति खाती, निवासी भगतावाडी नागौर,
तहसील व जिला नागौर (राजस्थान)।
- 2-प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं
उपखण्ड अधिकारी, लाडनू जिला नागौर।
- 3- नगरपालिका लाडनू जिला नागौर।

उपस्थित:-

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री नूर अहमद
2. अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से वकील श्री महेन्द्र शर्मा, अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से
राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा, अप्रार्थी संख्या-3 उपस्थित नहीं।

आदेश

दिनांक-23.01.2020

1- सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी लाडनू द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के तहसील लाडनू जिला नागौर के 72.600 कि.मी. से 112.760 कि.मी. (सालासर से नागौर सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/पेव्ड सोल्डर के साथ दो लेन का बनाने, पुनःसरेखण/बाईपास और चार लेन का बनाने आदि) के लिए भूमि अवाप्ति हेतु एन.एच.एक्ट 1956 की धारा 3जी के तहत पारित संशोधित अवार्ड दिनांक 20.09.2018 के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 3(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के विरुद्ध दिनांक 19.03.2019 को पेश किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मध्यस्थता का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या-3 ने हस्तगत प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

2-वकील प्रार्थी ने प्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र दिनांक 20.9.2018 को सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा जारी अवार्ड के विरुद्ध प्रस्तुत की है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1956 व भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्स्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 में दिये गये प्रावधानों के विपरीत जाकर दिनांक 20.09.2018 को अवार्ड जारी किया है। इससे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1956 की धारा 3 जी (5) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रार्थी को सफलता की पूर्ण संभावना है।

2(1)-प्रकरण के तथ्य यह हैं कि पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) केन्द्र सरकार, नई दिल्ली ने व्यापक लोकहित को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 के सालासर से नागौर सेक्शन को चौड़ा करने हेतु भूमि अवाप्ति करने वास्ते भारत के राजपत्र में अधिसूचना दिनांक 18.02.2015 को जारी की, जिसमें राजस्थान राज्य के सालासर से नागौर के 72.600 कि.मी. से 112.760 कि.मी. के भूखण्ड को चौड़ा करने के लिए भूमि अर्जन के लिए उपखण्ड अधिकारी, लाडनू को सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की समस्त धाराओं की पालना करते हुए अधिनियम की धारा 3 (ए) के तहत अधिसूचना दिनांक 18.02.2015 जारी की गई, जिससे अधिनियम की धारा 3 (ए) की उप-धारा (3) के तहत सक्षम

प्राधिकारी ने स्थानीय समाचार-पत्रों "राजस्थान पत्रिका" व "दी टाइम्स ऑफ इंडिया" के दिनांक 26.05.2015 के संस्करण में हिन्दी भाषा में प्रकाशित करवाया तथा हितबद्ध पक्षकारों से धारा 3(ए)(सी) के तहत 21 दिन के भीतर आपत्तियाँ आमंत्रित की गईं। अप्रार्थी-क्लेमेन्ट द्वारा धारा-3 (ए) के तहत जारी अधिसूचना के परिप्रेक्ष में जो आपत्तियाँ की गईं, उनका धारा 3 (सी) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया गया। प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात् सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 3 (डी) के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट भेजी गई, जिसके आधार पर सड़क परिवहन एवम् राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिनियम की धारा 3 (डी) के तहत भारत के राजपत्र में दिनांक 02.02.2016 को अधिसूचना जारी की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 (जी) के तहत अवाप्तशुदा भूमि का मूल्य एवम् निर्माण की मुआवजा राशि का निर्धारण करवाया गया व धारा 3 (जी) (7) में दिये गये निर्देशों के स्थान पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्स्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि की गणना उप पंजीयक कार्यालय लाडनू व निंबी जोधा से प्राप्त निर्धारित डी.एल.सी. दर के आधार पर की गई। तत्पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजा राशि निर्धारित की गई एवं इसके सम्बन्ध में अवार्ड दिनांक 26.09.2016 पारित किया गया, खसरा नंबर 1125 जिसके अनुसार तहसील लाडनू जिला नागौर में स्थित खसरा नम्बर 1125 अप्रार्थी संख्या 1 की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या-1125 अवाप्तशुदा रकबा 0.0180 हेक्टर प्रकार सरकारी व किस्म नगर पालिका बरानी 1 की मुआवजा राशि 191929/- निर्धारित की गई।

2(2)—उक्त अवार्ड दिनांक 26.09.2016 सक्षम प्राधिकारी, भूमि अवाप्ति, उपखण्ड अधिकारी तहसील लाडनू, के द्वारा पारित किया गया, जिसके विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आपत्ति आवेदन दिनांक 03.01.2018 अन्तर्गत धारा 3(जी)(5) न्यायालय जिला कलेक्टर (आर्बीट्रेटर) जिला नागौर (प्रकरण संख्या 06/2018) उनवानी "सुनील उर्फ कालू -बनाम- सक्षम प्राधिकारी, इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अवार्ड पारित करने से पूर्व आपत्तिकर्ता को विपक्षीगण ने नियमानुसार न तो कोई नोटिस जारी किया और ना ही सुनवाई का अवसर दिया तथा अवाप्ताधीन भूमि व्यावसायिक महत्व की होने पर भी विपक्षीगण द्वारा मुआवजा गलत निर्धारित किया गया। यह भी अंकित किया गया की खसरा नंबर 1125 मौजा लाडनू के रकबा 1965.78 वर्ग मीटर भूमि जो कि सिनेमा होटल व पेट्रोल पंप हेतु रूपांतरण नियम 1978 के तहत सिनेमा प्रयोजन परिवर्तित भूमि स्थित है जिसकी लीज डीड अप्रार्थी संख्या 1 व दिलीप कुमार के नाम से दिनांक 04.01.2000 को राजस्थान सरकार जरिए जिला कलेक्टर नागौर द्वारा जारी की गई है जो रिलीज डीड विधिवत रूप से पंजीकृत लीज डीड है जिसके आधार पर सिनेमा हॉल का निर्माण करवाया गया है तथा सिनेमा हॉल संचालित किया जा रहा है जिसका लाइसेंस नंबर 1/2000 जारी किया गया है उक्त भूमि में से 0.0180 हेक्टर भूमि को मुआवजा जारी करने की कार्यवाही की गई जिस की विज्ञप्ति जारी की गई परंतु मौके पर सिनेमा हॉल बना हुआ होने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से किसी प्रकार की विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है जिसकी सुनवाई हेतु कोई अवसर नहीं दिया व मौके की स्थिति और भूमि के उपयोग व सपरिवर्तन भूमि एवं सिनेमा हॉल की लीज की शर्तें एवं संपरिवर्तन आदेश की शर्तों का अवलोकन किए बिना ही गलत रूप से अवार्ड पारित किया है तथा अवॉर्ड अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से स्वीकृत नहीं कर अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि को गलत रूप से मुआवजा किया और अवॉर्ड जारी किया है जिसे अप्रार्थी संख्या 1 स्वीकार नहीं करता है तथा कथित रकम अवॉर्ड के संबंध में की गई संपूर्ण कार्यवाही जो कि मुआवजा निर्धारण के मूलभूत एवं स्वीकृत सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए अवाप्ति में ग्रसित भूमि के लैंड वैल्यू और मुआवजे का निर्धारण बाबत भूमि के संबंध में मुआवजे के सही निर्धारण न किए जाने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3(जी)5 प्रस्तुत किया। साथ ही यह भी अंकित किया गया कि उक्त अवाप्त शुदा भूमि लाडनू में मुख्य सड़क व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है साथ ही भूमि सिनेमा प्रयोजनार्थ रूपांतरित भूमि है तथा रूपांतरण की शर्तों के अनुसार सड़क के मध्य से 50 फीट छोड़कर व सड़क




जिला कलेक्टर, नागौर

सीमा से न्यूनतम 42 फीट सेटबैक छोड़ें जाने की शर्त तय की गई अर्थात् सिनेमा का निर्माण सड़क के मध्य बिंदु से 92 फीट की दूरी पर करवाए जाने की शर्त तय की गई जिसमें 42 फीट पार्किंग हेतु सेटबैक के रूप में रखे जाने की आवश्यक शर्त तय की गई जिसके अनुसार ही सिनेमा हॉल का निर्माण सन 2000 में करवाया गया तथा मार्च 2000 से सिनेमा हॉल को चालू भी सुचारू रूप से कर दिया था तथा विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है। अंत में आपत्तिकर्ता/अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना की गई कि:-

"आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आपत्ति कर्ता का आवेदन पत्र स्वीकार कर अवॉर्ड आदेश दिनांक 26.9.2016 व 4.8.2016को अपास्त करते हुए आपत्ति कर्ता की अवाप्तशुदा भूमि का, उस पर किए गए निर्माण एवं रूपांतरित शर्तों के अनुसार सिनेमा प्रयोजना उपयोग औचित्यहीन होने के कारण संपूर्ण सिनेमा निर्माण के संबंध में भूमि के उपयोग अनुसार व राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग पर स्थित होने व रूपांतरित भूमि होने के अनुसार उक्त भूमि के बाजार मूल्य के अनुसार 2 का गुणांक पर पुनः युक्ति संगत मुआवजे का निर्धारण करते हुए नया अवॉर्ड आदेश पारित करने व आपत्ति कर्ता को मुआवजा राशि मय 18: ब्याज के दिलाए जाने के आदेश प्रदान करावे"।

2(3)-उक्त प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा विपक्षी पक्षकारान को नोटिस जारी किए गए तथा अप्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र में विपक्षी संख्या 4 के रूप में दर्शित किया गया व नोटिस प्राप्ति के पश्चात प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का विस्तार पूर्वक जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थी द्वारा यह अंकित किया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में नगर पालिका लाडनू को पक्षकार नहीं बनाया है उक्त भूखण्ड नगर पालिका लाडनू के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उक्त भूमि का मालिक एवं उक्त भूमि का स्वामित्व केवल नगर पालिका लाडनू ही है। इस संबंध में नगर पालिका लाडनू को पक्षकार बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है उक्त भूमि दिनांक 22.11.1999 को राज्य सरकार के पक्ष में परित्याग कर दी गई। उक्त दिनांक से ही उक्त भूमि के संबंध में समस्त अधिकार राज्य सरकार में निहित हो गए। तत्पश्चात उक्त भूमि की लीज डीड दिनांक 04.01.2000 श्री दिलीप कुमार एवं श्री कालू उर्फ सुनील खाती के पक्ष में जारी कर दी गई। रेवेन्यू रिकार्ड में उक्त भूखण्ड नगर पालिका लाडनू के नाम दर्ज है तथा इस संबंध में नगर पालिका लाडनू के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है जबकि लीज डीड दिनांक 04.01.2000 के मद संख्या 6 में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख किया गया कि यदि भविष्य में लीज डीड के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निस्तारण पक्षकारों के मध्य मध्यस्थता नियमों द्वारा किया जाएगा। यदि अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि का मुआवजा प्राप्त करना चाहता है तो इस संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 सर्वप्रथम अर्बीट्रेशन के माध्यम से अपनी आपत्ति सक्षम अर्बीट्रेशन (रेवेन्यू सेक्रेटरी राजस्थान सरकार) के समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसके पश्चात ही अप्रार्थी संख्या 1 के मुआवजे का निर्धारण किया जा सकता है वर्तमान में लीज डीड के माध्यम से यदि अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि के संबंध में मुआवजा प्राप्त करना चाहता है तो सर्वप्रथम अप्रार्थी संख्या 1 को अपनी आपत्तियां अर्बीट्रेशन महोदय के सामने प्रस्तुत करनी पड़ेगी। जिसमें लीज डीड के द्वितीय पक्षकार अर्थात् राजस्थान सरकार के विरुद्ध अपना क्लेम प्रस्तुत करना पड़ेगा और जब अप्रार्थी संख्या 1 का अधिकार तय हो जाएगा उसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 न्यायालय हाजा के समक्ष अपना अधिकार प्रस्तुत कर सकता है तथा उक्त अवाप्ताधीन भूमि के मुआवजे की राशि प्राप्त कर सकता है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त तथ्यों को छिपाकर न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा केवल मात्र स्वयं के नाम के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जब की लीज डीड दिनांक 04.01.2000 अप्रार्थी संख्या 1 व श्री दिलीप कुमार दोनों के पक्ष में जारी की गई थी। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 को श्री दिलीप कुमार को पक्षकार बनाना आवश्यक है, क्योंकि लीज डीड श्री दिलीप कुमार और अप्रार्थी संख्या 1 श्री कालू उर्फ सुनील खाती के नाम से ही जारी की गई। उक्त लीज डीड के अनुसार संबंधित भूखण्ड के लिए यदि कोई वाद



कलेक्टर, नगर

विवाद भविष्य में उत्पन्न होता है तो उसके लिए उक्त दोनो पक्षकारों का होना आवश्यक है अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा केवल स्वयं के नाम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जोकि पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

2(4)—प्रार्थी द्वारा अपने जवाब में यह भी अंकित किया गया कि उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अवाप्त की गई है तथा अवाप्त की प्रक्रिया से पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1956 में दिये गए प्रावधानों की पूर्ण रूप से पालना की गई। जिसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 को सुनवाई हेतु पूर्ण अवसर दिया गया राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम की धारा 3 डी के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि के संबंध में आपत्तियों को आमंत्रित करने के लिए दिनांक 11.03.2016 दी टाईम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर समाचार पत्र के माध्यम से सूचना प्रकाशित की गई तथा अवाप्ताधीन भूमि के हितधारियों की दावा/आपत्तियां 21 दिन के अंतर्गत आमंत्रित की गई। सूचना प्रकाशित किए जाने के पश्चात कुल 29 आपत्तियां प्राप्त की। जिनका निस्तारण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1956 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार यथा समय किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि के संबंध में आपत्ति न्यायालय हाजा के समक्ष प्रथम बार प्रस्तुत की गई है। अवाप्ताधीन भूमि के संबंध में आपत्तियां प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1956 में दिए गये प्रावधानों का अक्षर से पालन किया गया है उसी के अनुसार उक्त भूमि के संबंध में प्रकाशन स्थनीय अखबारों में किया जाना आवश्यक है। पृथक से व्यक्तियों को लीगल नोटिस या सुनवाई हेतु नोटिस का भेजा जाना आवश्यक नहीं है।

2(5)—लीज डीड अप्रार्थी संख्या 1 व दिलीप कुमार के पक्ष में दिनांक 04.01.2000 को जारी की गई किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त लीज डीड की शर्तों के अनुसार उस का पंजीयन अर्थात् रजिस्ट्रेशन दिए गये समय अनुसार नहीं कराया गया तथा विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त लीज डीड का रजिस्ट्रेशन दिनांक 29.12.2017 को करवाया गया है जबकि वास्तविकता तो यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त लीज डीड का पंजीयन यथा समय लगभग 1 माह पश्चात कराया जाना आवश्यक था किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा इस शर्त का उल्लंघन करते हुए लीज डीड का रजिस्ट्रेशन 29.12.2017 को करवाया गया जोकि पूर्ण तरह से अवैध अमान्य है तथा इस कारण रेवेन्यू रिकॉर्ड में इस की कोई एंट्री नहीं पाई। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में केवल मात्र दिनांक 04.01.2000 को जारी अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में लीज डीड को आधार बनाकर प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में सिनेमा हॉल निर्माण करने हेतु लीज के माध्यम से आवंटित किया था। किन्तु उक्त आवंटन के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा रेवेन्यू रिकॉर्ड में उक्त खसरा नम्बर 1125 के संबंध में किसी प्रकार का कोई नामांतरण या नोट नहीं डलवाया गया। इससे स्थिति स्पष्ट होती है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वयं न तो लीज डीड को पंजीकृत करवाया गया ना ही इस बाबत रेवेन्यू रिकॉर्ड में इंद्राज करवाया गया इसके उपरांत भी अप्रार्थी संख्या 1 नियमों की अवहेलना करते हुए उक्त भूमि को उपयोग उपभोग किया गया है।

2(6)—प्रार्थी द्वारा अपने जवाब में यह भी अंकित किया गया कि उक्त भूमि का मुआवजा रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज भूमि की किस्म के अनुसार एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1956 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया। मुआवजा निर्धारित किए जाते समय भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्स्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 में दिए गए प्रावधानों का पूर्णता पालन किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी या कोताही नहीं बरती गई है। अंत में प्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थना की गई की अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत निराधार होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है तथा सक्षम प्राधिकारी अधिकारी लाडनू द्वारा जारी अर्बोर्ड पूर्ण तरह से सही उचित एवं विधि अनुसार है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है।




वकील, नया दिल्ली

2(7)—प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के पश्चात न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण में बहस सुनी गई। प्रकरण के दोनों पक्षकारों द्वारा अपने अपने तथ्य प्रस्तुत किए गए। बहस सुनने के पश्चात न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 28.03.2018 को प्रकरण का निस्तारण इस दिशा निर्देश के साथ किया की उक्त अवाप्ताधीन भूमि के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा पुनः अवार्ड का निर्धारण न्यायालय हाजा द्वारा दिए गए बिंदुओं के आधार पर निर्धारित करें। इस पश्चात् न्यायालय हाजा द्वारा उक्त प्रकरण पुनः अवॉर्ड निर्धारण हेतु सक्षम प्राधिकारी अधिकारी लाडनू के समक्ष प्रेषित किया।

2(8)—सक्षम प्राधिकारी अधिकारी लाडनू अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अवार्ड के पुनः निर्धारण हेतु दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जिसमें प्रार्थी द्वारा पुनः उन्ही आधारों को सक्षम प्राधिकारी अधिकारी लाडनू अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत करते हुये अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आपतियों का निस्तारण करने का निवेदन किया। किंतु अवार्ड का पुनः निर्धारण करते समय सक्षम प्राधिकारी अधिकारी लाडनू अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1956 व भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्स्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 में दिए गए प्रावधानों के विपरीत जाकर उक्त भूमि को व्यवसायिक मानते हुए तथा खसरा नंबर 1125 में से बिना कोई नामांतरकरण खोलें तथा बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए खसरा नंबर 1125/1 नया खसरा नंबर तरमीम कर दिया तथा साथ ही नया खसरा नंबर 1125/1 को व्यवसायिक मानते हुए दिनांक 20.09.2018 को आवप्ताधीन भूमि का मुआवजा कुल रकम 191929/-से लगभग 70 गुना ज्यादा 1,32,46,352/-तय किया गया है जोकि अनुचित एवं अवैध है।

2(9)—सक्षम प्राधिकारी अधिकारी लाडनू अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पुनः जारी अवॉर्ड दिनांक 20.09.2018 जो बिना किसी आधार के, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकॉर्ड तथा मौके की स्थिति के विरुद्ध जाकर भारत सरकार की लोक नीति एवं विधि के स्थापित सिद्धांतों के विरुद्ध जाकर तथा अधिनियम की मंशाओं के विरुद्ध जाकर पारित किया गया है जो कि खारिज होने योग्य है।

2(10)—खसरा नंबर 1125 के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1956 की धारा 3(ए) के अंतर्गत नोटिफिकेशन दिनांक 18.02.2015 को प्रकाशित किया गया जिसके अंतर्गत खसरा नंबर 1125 खसरा में से 0.180 हेक्टर भूमि को आवप्ताधीन बताया गया इसके पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(डी) के अंतर्गत अधिसूचना दिनांक 2.02.2016 को जारी की गई। उक्त दोनों अधिसूचनाओं में खसरा नंबर 1125 की भूमि के संबंध में विस्तृत रूप से सूचनाओं का उल्लेख किया गया जिसमें मुख्य रूप से भूमि का प्रकार— सरकारी व भूमि की प्रकृति नगर पालिका बरानी 1 दर्शाई गई तथा इसके साथ उक्त खसरा नंबर के भूस्वामी हित बंद व्यक्तियों का नाम उल्लेखित किया गया जिसके अंतर्गत उक्त खसरा नंबर 1125 नगर पालिका लाडनू के नाम दर्ज होना दर्शाया गया। उपरोक्त दोनों अधिसूचनाओं का प्रकाशन रेवेन्यू रिकॉर्ड से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रकाशित की गई। इस प्रकार अधिसूचनाओं के प्रकाशन के समय खसरा नंबर 1125 में किसी प्रकार का कोई विभाजन होना प्रतीत नहीं हुआ। लेकिन सक्षम प्राधिकारी अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा खसरा नंबर 1125 की अधीन भूमि का मुआवजा पुनः निर्धारित करते समय उक्त खसरा नंबर 1125 में से नया खसरा नंबर का 1125/1 तरमीम कर दिया जबकि उक्त खसरा नंबर 1125 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (डी) के अंतर्गत अधिसूचना दिनांक 2.02.2016 को जारी किए जाने के पश्चात सभी विलंगनाओं से मुक्त होकर अत्यंत रूप से केंद्र सरकार में निहित हो गई थी तथा ऐसी भूमि जो केंद्र सरकार में निहित हो चुकी है के संबंध में कोई भी निर्णय केवल मात्र केंद्र सरकार ले सकती है। सक्षम प्राधिकारी अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 को उक्त खसरा नंबर 1125 में 1125/1 तरमीम करने का कोई अधिकार नहीं होने के बावजूद भी खसरा नंबर 1125/1 तरमीम करके एवं इस खसरा नंबर को वाणिज्यिक दर्शाते हुए आवप्ताधीन भूमि का मुआवजा निर्धारित किया है जोकि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 व भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्स्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013



157
सक्षम प्राधिकारी, नगर

दिए गए प्रावधानों के विपरीत है इसलिए सक्षम प्राधिकारी अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जारी अवॉर्ड दिनांक 20.9.2018 अपास्त किए जाने योग्य है।

2(11)— खसरा नंबर 1125 राजस्व रिकॉर्ड में नगर पालिका लाडनू के नाम से दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज नहीं है दिनांक 27.12.1999 को जिला कलेक्टर नागौर द्वारा जारी लीज डीड की शर्त संख्या 6 के अनुसार लीज डीड के जारी होने के एक माह में निर्धारित स्थान पर प्रस्तुत कर स्वयं के खर्च पर पंजीबद्ध कराने पर ही लीज डीड माननीय थी। उक्त लीज डीड पंजीकृत नहीं कराए जाने के कारण ही भूमि सपरिवर्तन की समस्त कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई एवं इस कारण पंजीकृत लीज डीड के आधार पर ही किसी भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जा सकता है। लेकिन पंजीकृत लीज डीड के अभाव में राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसी कारण उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम नामांकन नहीं हो सका। अतः राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज के अनुसार ही उक्त खसरा नंबर 1125 की आवारा अधीन भूमि नगर पालिका लाडनू के नाम दर्ज है साथ ही उक्त भूमि की प्रकृति बरौनी 1 दर्ज है इसलिए सक्षम प्राधिकारी अधिकारी प्रार्थी संख्या दो द्वारा जारी अवॉर्ड दिनांक 20.9.2018 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 व भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्स्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 में दिए गए प्रावधानों के विरुद्ध होने के कारण अपात्र किए जाने योग्य है।

2(12)—खसरा न. 1125 तहसील लाडनू जिला नागौर की भूमि के संबंध में मुआवजे का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा दिनांक 26.09.2016 को भूमि का प्रकार सरकारी व भूमि की प्रकृति बरौनी 1 के आधार पर किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1956 की धारा 3 जी में मुआवजे का निर्धारण करने के संबंध में प्रक्रिया विहित की है जिसकी उप धारा 7(ए) के अनुसार जब अवाप्ताधीन भूमि की अधिसूचना अंतर्गत धारा 3 (ए) में जारी की जाती है तो जारी होने की तिथि से बाजार मूल्य के आधार पर भूमि का मुआवजा निर्धारित किया जाता है। जबकि सक्षम प्राधिकारी अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा नियमों की अवहेलना करते हुए उक्त खसरा नंबर 1125/1 की भूमि का मुआवजा निर्धारित किया है इस कारण पुणे पारित अवॉर्ड दिनांक 20.09.2018 अपास्त किए जाने योग्य है।

2(13)—प्रकरण में प्रार्थी द्वारा सर्वप्रथम तो यह स्पष्ट यह नहीं किया गया है कि यह भूमि नगर पालिका की है या प्रार्थी की है क्योंकि रेवेन्यू रिकार्ड के आधार पर उक्त भूमि नगर पालिका के नाम से दर्ज है प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में नगर पालिका लाडनू को पक्षकार नहीं बनाया गया उक्त भूखण्ड नगर पालिका लाडनू के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उक्त भूमि का मालिक एवं उक्त भूमि का स्वामित्व केवल नगर पालिका लाडनू है। इस संबंध में नगर पालिका लाडनू को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रायोजनार्थ भूमि को अवाप्त किया जाता है तो भूमि के संबंध में निर्धारित मुआवजे का भुगतान एकमुश्त सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है तथा सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा ही भूमि के वास्तविक स्वामी जिसका नाम रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज होता है, को जारी किया जाता है। इस प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 सुनील द्वारा उक्त भूमि को स्वयं का बताया जा रहा है जबकि रेवेन्यू रिकार्ड में उक्त भूमि नगर पालिका लाडनू के नाम से दर्ज है। इसी प्रकार भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया में दिनांक 18.02.2015 को जारी प्रथम अधिसूचना अंतर्गत धारा 3(ए) एन.एच.एक्ट 1956 के अनुसार भूमि जिनके नाम दर्ज होती है भूमि का मुआवजा भी उन्हीं को दिया जाता है। इस प्रकरण में भी उक्त खसरा नंबर 1125 नगर पालिका लाडनू के नाम से दर्ज है इसलिए उक्त खसरा नंबर 1125 का मुआवजा भी नगर पालिका लाडनू के नाम से जारी किए जाने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई किंतु प्रार्थी संख्या दो द्वारा जारी अवॉर्ड दिनांक 20.9.2018 में उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अवॉर्ड जारी किया गया जो कि स्पष्ट रूप से विधि विरुद्ध होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है।



जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

2(14)—राजस्थान भू राजस्व(सिनेमाघर- पेट्रोल पंप आदि हेतु कृषि भूमि का आवंटन परिवर्तन तथा नियमन) नियम 1978 के अनुसार विलेख के अधिकारों एवं दायित्वों के बारे में कोई विवाद या आशंका उत्पन्न हो जाए तो उसे पंचाट निर्णय हेतु राजस्थान सरकार के राजस्व सचिव को प्रेषित किया जाना चाहिए क्योंकि प्रार्थी संख्या 1 द्वारा ना तो लीज डीड का पंजीयन कराया गया था तथा बिना पूर्व अनुमति के लीज डीड के अन्य पक्षकार दिलीप कुमार द्वारा अपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 को हस्तांतरित कर दिया गया। ऐसी स्थिति के अंदर जब लीज डीड में दी गई शर्तों का लीज डीड के पक्षकारों द्वारा उल्लंघन किया गया है तो ऐसी स्थिति में उक्त दोनों विवादों के निर्णय हेतु इससे राजस्थान सरकार के पंच निर्णय एक राजस्व सचिव को प्रेषित कर निर्णय करवाया जाना अत्यंत आवश्यक था लेकिन उक्त निर्णय एवं दिशा निर्देश के अभाव में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी लीज डीड प्रभाव शून्य होने के कारण उक्त भूमि से संबंधित मुआवजा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी करने का कोई औचित्य नहीं है। इन सब तथ्यों को प्रार्थी द्वारा सक्षम प्राधिकारी अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत किया गया किंतु सक्षम प्राधिकारी अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अवॉर्ड जारी करते समय प्रार्थी द्वारा उठाए गए सभी बिदुओं को नकारते हुए तथा बिना ध्यान में लाए हुए अवॉर्ड दिनांक 20.9.2018 पारित किया है जोकि अपास्त किए जाने योग्य है।

2(15)—वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बिना किसी आधार व बिना किसी रेवेन्यू रिकार्ड में दुरुस्तगी किये हुये प्रार्थना पत्र अंतर्गत प्रस्तुत किया था जबकि सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी अवॉर्ड में उक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुये अवॉर्ड जारी किया गया था। खसरा न. 1125 तहसील लाडनू जिला नागौर की भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अवाप्त किये जाने की प्रक्रिया के दौरान प्रथम अधिसूचना अंतर्गत धारा 3ए दिनांक 18.02.2015 को जारी हुई जिसका प्रकाशन राजस्थान पत्रिका व टाईम्स ऑफ इण्डिया में दिनांक 26.05.2015 को हुआ। उक्त अधिसूचना के प्रकाशन से ही भूमि के मुआवजे का निर्धारण किया जाता है। उक्त अधिसूचना में खसरा न. 1125 नगर पालिका लाडनू के नाम से दर्ज थी इसलिए सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा बिना कोई गलती किये उक्त भूमि का मुआवजा नगर पालिका लाडनू के पक्ष में जारी किया है। किंतु सक्षम प्राधिकारी अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अवॉर्ड जारी करते समय प्रार्थी द्वारा उठाए गए सभी बिदुओं को नकारते हुए तथा बिना ध्यान में लाए हुए अवॉर्ड दिनांक 20.9.2018 पारित किया है जोकि अपास्त किए जाने योग्य है।

2(16)—उक्त अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा सक्षम प्राधिकारी अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 व भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्स्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 में दिये गये प्रावधानों के विपरीत जाकर भूमि के मुआवजे का निर्धारण भूमि को सिनेमा प्रयोजनार्थ की दर से निर्धारित किया जबकि वास्तव में उक्त अवाप्ताधीन भूमि रेवेन्यू रिकार्ड के आधार पर बरानी 1 की श्रेणी में दर्ज थी। सक्षम प्राधिकारी अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा बिना किसी ठोस आधार के एवं बिना मस्तिष्क का उपयोग करते हुये निर्धारित किया है। जो कि खारिज किये जाने योग्य है।

2(17)—सक्षम प्राधिकारी अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 20.09.2018 को अवाप्ताधीन भूमि खसरा न. 1125 में नया खसरा न. 1125/1 बिना किसी आधार के तरमीम करने के पश्चात उक्त नया खसरा न. 1125/1 में सुनील उर्फ कालू व दिलीप कुमार दोनों को खातेदार मानकर दोनों के पक्ष में मुआवजे का निर्धारण किया है। एक तरफ सक्षम प्राधिकारी अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त भूमि के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3(डी) के अंतर्गत दिनांक 02.02.2016 को अधिसूचना जारी होने के पश्चात जिसका दिनांक 11.03.2016 को 2 समाचार पत्र दैनिक भास्कर व द टाईम्स ऑफ इण्डिया प्रकाशन करवाया गया। प्रकाशन किये जाने के साथ ही उक्त भूमि सभी विलगनाओ से मुक्त होकर अन्यत रूप से भारत सरकार में निहित हो जाती है इसके बावजूद भी सक्षम प्राधिकारी अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त भूमि में नया खसरा न. 1125/1 तरमीम कर



डायरेक्टर, नगर

सुनील उर्फ कालू अप्रार्थी संख्या 1 व दिलीप कुमार उक्त खसरा नम्बर का खातेदार बना दिया गया। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वयं अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है तथा स्वीकार किया है कि दिलीप कुमार द्वारा अपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 28.12.2012 को जरिये इकरारनामा दिनांक 28.12.2012 को कर दिया। इसके पश्चात न तो दिलीप कुमार द्वारा उक्त अवाप्ताधीन भूमि के संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष अपना क्लेम प्रस्तुत किया गया न ही सक्षम प्राधिकारी अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष अपने पक्ष में मुआवजा निर्धारण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उसके बावजूद भी सक्षम प्राधिकारी अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिलीप कुमार के पक्ष में मुआवजे का निर्धारण कर दिया, जो कि विधि विरुद्ध है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्स्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 में दिये गये प्रावधानों के विपरीत होने का कथन करते हुए वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 20.09.2018 राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1956 व भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्स्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 में दिये गये प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अपास्त करने का निवेदन किया है।

3- वकील श्री महेन्द्र शर्मा ने अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से बहस में कथन किया कि पूर्व में प्रसारित अवार्ड व अवाप्ति की कार्यवाही के तथ्यों से विरोध नहीं। पूर्व में जो अवार्ड पारित किया गया वह विधि सम्मत नहीं था जिसको अप्रार्थी न्यायालय हाजा के समक्ष चुनोती दी गई थी जिसे स्वीकार कर प्रकरण को पुनः निस्तारण हेतु प्रेषित किया गया था।

3(1)-प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की मद संख्या 3 में दर्ज तथ्य सम्पूर्ण रूप से सही नहीं है। पूर्व में जो मध्यस्थता आवेदन पेश किया गया था उसमें दर्ज तथ्य सही प्रकार से अंकित किये गये उक्त तथ्यों का उक्त प्रकरण में कोई महत्व नहीं है जिनका उल्लेख गलत रूप से किया गया है तथा जो प्रार्थना की गई वह सही प्रकार से की गई है।

3(2)-प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की मद संख्या 4 में दर्ज तथ्य सम्पूर्ण रूप से सही नहीं है। नगरपालिका लाडनू उक्त प्रकरण में न तो आवश्यक पक्षकार थी व न ही अवाप्त सुदा भूमि का स्वामित्व नगरपालिका लाडनू में निहित करता है केवल मात्र नामान्तरकरण दर्ज होने के आधार पर भूमि के संबंध में अधिकार नगरपालिका लाडनू को प्राप्त नहीं होते हैं इस संबंध न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विस्तृत आदेश पारित कर चुका है इसलिए पूर्व में दर्ज प्रकरण व उसके तथ्यों पर पुनः प्रस्तुत प्रकरण में किसी प्रकार का संबंध नहीं रखती है एवं न ही उक्त तथ्यों को इस प्रकरण में किसी भी प्रकार से अवलोकन ही करना है क्योंकि न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में जो आदेश पारित किया गया उसके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष न तो चुनोती दी गई एवं न ही किसी प्रकार से अपील की गई है इसलिए उक्त निर्णय को व निर्णय से संबंधित तथ्यों को इस प्रकरण में चुनोती नहीं दी जा सकती है। उक्त आदेश अन्तिम आदेश है व उक्त आदेश के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनः अवार्ड पारित किया गया इसलिए अप्रार्थी संख्या एक को कहां पर आवेदन पेश करना था व क्या करना था इसका प्रस्तुत प्रकरण में कोई आवेदन या उल्लेख नहीं किया जा सकता है जो आपतियां ली गई यह पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा तय कर दी गई जिसके विरुद्ध किसी प्रकार से प्रस्तुत प्रकरण में विचारण नहीं करना है, जो अवार्ड पारित किया गया है वह सही प्रकार से किया गया है। दिलीपकुमार प्रस्तुत प्रकरण में न तो आवश्यक पक्षकार है और न ही दोनो पक्षकार प्रकरण में आवश्यक है, आवेदन पत्र किसी प्रकार से खारिज होने योग्य नहीं था। जबाब में जो तथ्य अंकित किये हैं उनका प्रस्तुत प्रकरण से कोई संबंध नहीं है व न ही उक्त तथ्य प्रकरण में सुसंगत है। इस संबंध में एतराज पूर्व में प्रस्तुत प्रकरण में लिये गये जिसमें माननीय मध्यस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में तय कर दिया गया था इसलिए ऐसे एतराज पुनः लेने का अधिकार प्रार्थी को नहीं है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की मद संख्या 5 में दर्ज तथ्य सम्पूर्ण रूप से सही नहीं है। इस संबंध में न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में तय किया जा चुका है।



कलेक्टर, नगरपालिका

3(3)—प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की मद संख्या 6 में दर्ज तथ्य गलत है ऐसा एतराज प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष पूर्व में प्रस्तुत प्रकरण में एतराज किया जा चुका है तथा उसका निस्तारण भी न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में किया जा चुका है इसलिए पुनः ऐसे तथ्य सुसंगत नहीं है। लीज डीड निष्पादन के दिन से प्रभावी है रजिस्ट्रेशन बाद में भी किया जा सकता है तथा रजिस्ट्रेशन किसी भी प्रकार से अवैध व अमान्य नहीं है। लीज डीड विधिवत रूप से जारी की गई केवल मात्र नामान्तरकरण जो कि एक फिस्कल प्रोसिडींग है जिससे किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के न तो अधिकार समाप्त होते हैं व न ही अधिकार सर्जित होते हैं इसलिए लीज डीड पूर्ण रूप से वैध है तथा नियमानुसार ही भूमि का उपयोग एवं उपभोग किया गया है।


3(4)—प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की मद संख्या 7 में दर्ज तथ्य सम्पूर्ण रूप से सही नहीं है। अवार्ड रिकार्ड के अनुसार जारी नहीं होकर मौके अनुसार जारी होने चाहिए थे। आवेदन किसी भी प्रकार से खारिज होने योग्य नहीं था व न ही प्रार्थी द्वारा जो एतराज लिये गये उनका निस्तारण सक्षम प्राधिकारी को करना था इस संबंध में निस्तारण पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा किया जा चुका है इसलिए पुनः उल्लेख किया जाना कतई आवश्यक नहीं है।

3(5)—प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की मद संख्या 8 में दर्ज तथ्यों से विरोध नहीं।

3(6)—प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की मद संख्या 9 में दर्ज तथ्य सम्पूर्ण रूप से सही नहीं होने से अस्वीकार है। सक्षम प्राधिकारी लाडनू को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर न्यायालय हाजा द्वारा दिये गये बिन्दुओं के आधार पर ही पुनः एवार्ड निर्धारित करना था जिसका निर्धारण सही प्रकार से किया गया था साथ ही न्यायालय हाजा द्वारा ही प्रकरण को व्यवसायिक मानते हुए ही केवल मात्र अवाप्त सुदा भूमि के संबंध में जांच कर एवार्ड पारित करने का आदेश दिया गया जिस पर सक्षम प्राधिकारी को अवाप्त सुदा भूमि के संबंध में जांच करनी थी व कितनी भूमि अवाप्त की गई उसी की जांच करनी थी। व्यावसायिक तो न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व आदेश में मानकर ही उसी अनुसार एवार्ड पारित करने का आदेश दिया था जिसके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा कोई अपील नहीं की गई न ही न्यायालय हाजा के आदेशों को चुनौती दी गई इसलिए न्यायालय हाजा का पूर्व आदेश अन्तिम आदेश है व जिसमें दिये गये बिन्दुओं के आधार पर ही सक्षम प्राधिकारी को निर्णय पारित करना था जो पूर्ण रूप से विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए आदेश पारित किया है जो पूर्ण रूप से वैध आदेश है तथा लोक नीति व विधि के स्थापित सिद्धान्तों के अनुसार पारित किया गया है।

3(7)—प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार की मद संख्या एक में दर्ज तथ्य सम्पूर्ण रूप से सही नहीं है जो आधार दर्शित किये गये हैं, उनके संबंध में निस्तारण न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व के प्रकरण में किया जा चुका है जो आदेश अन्तिम आदेश है, जिसके विरुद्ध प्रार्थी ने किसी प्रकार की चारा ज्योही नहीं की इसलिए जो तरमीम किया गया है वह सही प्रकार से किया गया है। नामान्तरकरण की कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति के अथवा स्वामी के अधिकार समाप्त नहीं हो सकते हैं इसलिए एवार्ड विधि अनुसार पारित किया गया है तथा इस संबंध में पूर्व ही न्यायालय द्वारा निस्तारण किया जा चुका है। तरमीम की गई वह सही प्रकार से की गई है तथा उक्त भूमि चूकि रूपान्तरित भूमि थी जो किसी भी प्रकार से नगरपालिका लाडनू को न तो हस्तान्तरित की गई व न ही विधि अनुसार हस्तान्तरित हो सकती है इसलिए रेकॉर्ड में नगरपालिका लाडनू का नाम उक्त भूमि के संबंध में दर्ज नहीं हुआ है बल्कि अन्य खाली पडी भूमि के संबंध में दर्ज हुआ है तथा उक्त नामान्तरकरण से अप्रार्थी संख्या एक के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते हैं। इसलिए एवार्ड विधि अनुसार पारित हुआ है। जिसे चुनौती देने का प्रार्थी को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है।

3(8)—प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार की मद संख्या 2 में दर्ज तथ्य गलत है। लीज विधि अनुसार ही जारी की गई है तथा पंजीकृत नहीं होने के आधार पर संपरिवर्तन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होना नहीं माना जा सकता है बल्कि लीज डीड निष्पादन के समय ही प्रभाव में आयी तथा संपरिवर्तन




कलक्टर, नगर

आदेश पारित होने के दिन ही भूमि का संपरिवर्तन हो गया। पंजीयन से कोई दस्तावेज प्रभावी नहीं होता है बल्कि पंजीकृत दस्तावेज निष्पादन के दिन से प्रभावी होता है इसलिए केवल मात्र नामान्तरकरण दर्ज नहीं होने के आधार पर अप्रार्थी संख्या एक के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते हैं व न ही नगरपालिका लाडनू के अधिकार सर्जित होते हैं इसलिए आवेदन पत्र गलत आधारों पर पेश किया गया है तथा इस संबंध में न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में मध्यस्थता प्रकरण में तथ्यों का निस्तारण किया जा चुका है जिसके संबंध में पुनः ऐसे तथ्यों का न तो उल्लेख किया जा सकता है व न ही पूर्व में निस्तारित तथ्यों को पुनः उसी न्यायालय में चुनोती दी जा सकती है। पूर्व में पारित आदेश अन्तिम आदेश है जिसे किसी प्रकार की चुनोती नहीं दी गई है।

3(9)—प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार की मद संख्या 3 में दर्ज तथ्य गलत है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो अवार्ड पारित किया गया वह नियमों के अनुसार पारित किया गया है व किसी भी प्रकार से विधिक प्रावधानों के विपरीत नहीं है व न ही नियमों के विरुद्ध पारित किया गया है तथा अवार्ड किसी प्रकार से अपास्त होने योग्य नहीं है।

3(10)—प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार की मद संख्या 4 में दर्ज तथ्य गलत है। उक्त भूमि किसी प्रकार से नगरपालिका लाडनू की नहीं है व न ही उक्त भूमि नगरपालिका लाडनू को हस्तान्तरित की गई है व न ही उसका स्वामित्व नगरपालिका लाडनू में निहित करता है व न ही नगरपालिका लाडनू आवश्यक पक्षकार है इसलिए नगरपालिका लाडनू को किसी भी प्रकार से प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। नगरपालिका लाडनू को रूपान्तरित भूमि के अलावा भूमि हस्तान्तरित की गई थी तथा उसकी स्वामित्व नगरपालिका लाडनू में निहित करता है। इस संबंध में माननीय मध्यस्थ द्वारा पूर्व में तय किया जा चुका है इसलिए इस संबंध में पुनः चुनोती देने का प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है। तथा अप्रार्थी की अवाप्त सुदा भूमि का कोई मुआवजा नगरपालिका लाडनू के नाम से न तो स्वीकृत किया गया व न ही जारी किया गया। इसलिए अवार्ड विधिक प्रावधानों के अनुसार पारित किया गया है जो पूर्ण रूप से विधि सम्मत है किसी प्रकार का मुआवजा अप्रार्थी की अवाप्त सुदा भूमि के संबंध में जारी नहीं किया गया है तथा उक्त भूमि किसी प्रकार से नगरपालिका लाडनू के नाम दर्ज नहीं हुई है इसलिए भी अवार्ड पूर्ण रूप से विधिक प्रावधानों के अनुसार पारित किया गया है जो विधि सम्मत है आवेदन गलत तथ्यों पर आधारित होने से निरस्त होने योग्य है।

3(11)—प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार की मद संख्या 5 में दर्ज तथ्य गलत है। प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान भू राजस्व (सिनेमाघर, पेट्रोल पम्प आदि हेतु कृषि भूमि का आवंटन परिवर्तन तथा नियमन) नियम 1978 के प्रावधान प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होते हैं क्योंकि विलेख के अधिकारों व दायित्व के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए राजस्व सचिव को प्रेषित करने का कोई आधार नहीं है व न ही आवश्यकता है व न ही लीज डीड की शर्तों का कोई विवाद है व न ही लीज होल्डर व लीज डीड देने के वाले के मध्य कोई विवाद है इसलिए राजस्व सचिव को प्रकरण प्रेषित करना किसी प्रकार से आवश्यक नहीं है व न ही उक्त लीज डीड प्रभाव शून्य है बल्कि लीज डीड पूर्ण रूप से वैध है तथा जो अवार्ड पारित किया गया है वह विधि अनुसार पारित किया गया है उक्त तथ्य भी पूर्व में न्यायालय हाजा मध्यस्थ द्वारा तय किये जा चुके हैं तथा पूर्व प्रकरण में भी प्रार्थी द्वारा उक्त एतराज लिये गये जिनका निस्तारण माननीय मध्यस्थ द्वारा किया जा चुका है इसलिए पुनः उक्त तथ्यों के संबंध में किसी प्रकार का अवलोकन नहीं किया जा सकता है।

3(12)—प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार की मद संख्या 6 गलत है। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा जो आवेदन पेश किया गया वह विधिवत रूप से किया गया है तथा विधिवत रूप से ही कार्यवाही की गई है तथा उक्त तथ्य पूर्व में माननीय मध्यस्थ द्वारा तय किये जा चुके हैं। उक्त भूमि नगरपालिका लाडनू की भूमि नहीं है व न ही उक्त भूमि का कोई अवार्ड जारी ही किया गया है तथा उक्त तथ्य को माननीय मध्यस्थ द्वारा पूर्व में ही तय किया जा चुका है।



कॉन्सल्टर, नगरी

3(13)—प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार की मद संख्या 7 में दर्ज तथ्य गलत है। उक्त भूमि किसी भी प्रकार से बाराणी एक की श्रेणी में नहीं आती है, बल्कि व्यावसायिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि है जिसका अवार्ड भी उसी परियोजनार्थ जारी किया जाना है। जिसके संबंध में भी निस्तारण माननीय मध्यस्थ द्वारा पूर्व में किया जा चुका है। इसलिए इस प्रकरण में उक्त तथ्यो को चुनौती नहीं दी जा सकती है।

3(14)—प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार की मद संख्या 8 में दर्ज तथ्य गलत है। अप्रार्थी की अवाप्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 1125/1 का भाग है जो किसी भी प्रकार से पूर्व में अवाप्ति की श्रेणी में नहीं आता है व न ही उक्त भूमि बिना अवार्ड दिये भारत सरकार में निहित हुई है जो तरमीम की गई वह सही प्रकार से व विधि अनुसार की गई है तथा जो इकरारनामा निष्पादित किया गया है वह सही प्रकार से किया गया है जिसके संबंध में माननीय मध्यस्थ द्वारा पूर्व में निस्तारण किया जा चुका है व माननीय मध्यस्थ द्वारा पूर्व में जो निर्णय दिया गया उन्हीं बिन्दुओ पर पुनः विचारण कर सक्षम प्राधिकारी को अवार्ड पारित करना था जो सही प्रकार से किया गया है जो किसी भी प्रकार से विधि विरुद्ध नहीं है व न ही किसी अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत है अवार्ड विधि अनुसार पारित किया गया है। उक्त आवेदन में लिये गये आधारो का निस्तारण पूर्व में माननीय मध्यस्थ द्वारा किया जा चुका है। इसलिए इस संबंध में किसी भी प्रकार का एतराज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि पूर्व में पारित आदेश अन्तिम आदेश है जिसको किसी भी सक्षम प्राधिकरण या न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है इसलिए उक्त आदेश अन्तिम आदेश है जिसमें दिये गये निर्देशो की पालना ही अवाप्त अधिकारी द्वारा की गई है तथा माननीय मध्यस्थ द्वारा अवाप्त सुदा भूमि को अप्रार्थी संख्या एक के स्वामित्व की सिनेमा प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि मानते हुए व व्यवसायिक भूमि मानते हुए ही अवाप्त में गई भूमि की जांच कर व्यवसायिक दर के अनुसार अवार्ड पारित करने का निर्देश दिया गया तथा सक्षम प्राधिकारी को केवल अवाप्त में गई भूमि की मात्रा की जांच कर व्यवसायिक दर के अनुसार अवार्ड ही पारित करना था जो विधि अनुसार किया गया है जिसको चुनौती देने का प्रार्थी को किसी प्रकार का अधिकार नहीं होने का कथन करते हुए प्रार्थी का आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निदेश किया है।

4—राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से बहस में कथन किया कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी लाडनू द्वारा हस्तगत प्रकरण में दिनांक 20.09.2018 को पारित अवार्ड विधि के प्रावधानों के अनुरूप होने का कथन करते हुए प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

5—वकुलाय की बहस सुनी गई। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी लाडनू द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 के कि.मी. 72.600 से कि.मी. 112.760 (सालासर से नागौर सेक्शन) तक के भू खण्ड निर्माण (चौड़ा करने/ पेड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने, पुनःसंरक्षण/बाईपास और चार लेन का बनाने, आदि) के संबंध में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड अधिकारी लाडनू द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 04.08.2016 एवं संशोधित अवार्ड दिनांक 26.09.2016 के विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 1 सुनील उर्फ कालू द्वारा पूर्व में एक मध्यस्थता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 एवं संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम 1997 सपठित धारा 21 माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिस पर प्रकरण संख्या 06/2018 सुनील उर्फ कालू बनाम भारत संघ वगैरह दर्ज कर पक्षकारान की विधिवत सुनवाई कर दिनांक 28.03.2018 को आदेश पारित कर सुनील उर्फ कालू द्वारा प्रस्तुत उक्त मध्यस्थता प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण समक्ष प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी लाडनू को प्रतिप्रेषित कर उक्त आदेश दिनांक 28.03.18 के बिन्दु संख्या 5 से 5(9) में किये गये विवेचन के संबंध में संबंधित पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत का अवसर प्रदान कर विधि अनुसार आवश्यक



[Signature]

जॉच आदि कर यथाशीघ्र विधि सम्मत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त आदेश दिनांक 28.03.2018 में दिये गये बिन्दु संख्या 5 से 5(9) इस प्रकार है :-

"5-वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया।
जिसके अनुसार-

5(1)-राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 तहसील लाडनूँ कि.मी. 72.600 से कि.मी. 112.760 तक के भूखण्ड (सालासर से नागौर सेक्शन) का निर्माण (चौड़ा करने/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने, पुनः संरेखण/बाईपास और चार लेन का बनाने, आदि) के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना दिनांक 18.02.2015 को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत जारी हुई है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी लाडनूँ मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही सम्पादित करते हुए अवार्ड दिनांक 04.08.2016 एवं तत्पश्चात संशोधित अवार्ड दिनांक 26.09.2016 को जारी किया गया है। इस संशोधित अवार्ड के तहत इस प्रकरण में ग्राम लाडनूँ के खसरा नम्बर 1125 में से 0.0180 हैक्टर भूमि नगर पालिका बारानी-1 किस्म का अधिग्रहण किया गया, जिसका कुल मुआवजा 191929/-रूपये नगर पालिका लाडनूँ के पक्ष में निर्धारित किया गया।

5(2)- खसरा नम्बर 1125 सरहद लाडनूँ की भूमि दिलीप कुमार पुत्र सन्तोष कुमार जाति जांगीड व कालू उर्फ सुनील पुत्र श्याम जांगीड निवासी नागौर द्वारा कय करने के संबंध में विक्रय पत्र दिनांक 15.10.1999 को लिखा गया एवं उक्त विक्रय पत्र को उप पंजीयक लाडनूँ द्वारा दिनांक 27.10.1999 को पंजीकृत किया गया है। उक्त खसरा नम्बर 1125 रकबा 1900.78 वर्गमीटर यानि 1 बीघा 3.48 बिस्वा भूमि का उक्त दिलीप कुमार व कालू उर्फ सुनील के नाम जिला कलक्टर कार्यालय नागौर द्वारा आदेश दिनांक 27.12.99 के द्वारा सिनेमा प्रयोजनार्थ रूपान्तरण किया गया। इससे स्पष्ट है कि उक्त अवाप्तशुदा भूमि सिनेमा प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि है परन्तु भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उक्त भूमि के मुआवजे का निर्धारण भूमि की किस्म बारानी-1 मानते हुए उसके लिए निर्धारित दर से किया गया है, जो उचित नहीं है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अधिकारी को भूमि का मुआवजा सिनेमा प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि की दर से किया जाना चाहिए था।

5(3)-दिनांक 4.1.2000 को उक्त भूमि के संबंध में दिलीप कुमार व कालू उर्फ सुनील के नाम जिला कलक्टर कार्यालय नागौर द्वारा लीज डीड जारी की गई। प्रस्तुत उक्त लीज डीड की प्रति के अंतिम पृष्ठ पर अंकितानुसार दिनांक 29.12.2017 को जिला कलक्टर नागौर द्वारा लीज डीड को पंजीबद्ध हेतु पुनर्वैध किया गया, जिस पर उप पंजीयक लाडनूँ द्वारा उक्त लीज डीड को दिनांक 29.12.2017 को पंजीबद्ध किया गया।

इसके अतिरिक्त वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखापढी इकरारनामा दिनांक 28.12.12 की प्रति के अनुसार खसरा नम्बर 1125 रकबा 23.48 बिस्वा (1900.78 वर्गमीटर) भूमि कस्बा लाडनूँ जो दिलीप कुमार व कालू उर्फ सुनील द्वारा दिनांक 15.10.1999 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीद की थी तथा उक्त भूमि के संबंध में लीज डीड जिला कलक्टर नागौर द्वारा दिनांक 4.1.2000 को जारी हुई तथा उक्त भूमि पर लक्ष्मीतारा सिनेमा हॉल निर्मित है, जिसका लाईसेन्स भी दिलीप कुमार व कालू उर्फ सुनील के पक्ष में जारी है। उक्त भूमि व सम्पति में से दिलीप कुमार अपने हिस्से का सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर उक्त अचल सम्पति से अपना हक कालू उर्फ सुनील के पक्ष में त्याग कर दिया गया है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त लीज डीड दिनांक 4.1.2000 जो 29.12.2017 को उप पंजीयक लाडनूँ से पंजीकृत है, के अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि के दिलीप कुमार व कालू उर्फ सुनील दोनों ही व्यक्ति लीज होल्डर हैं, जबकि यह प्रार्थना मध्यस्थता प्रार्थना पत्र केवल सुनील उर्फ कालू द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है। दिलीप कुमार भी लीज होल्डर होने से वह भी हस्तगत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार था, जो हस्तगत प्रकरण में पक्षकार नहीं है। साथ ही भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा हस्तगत प्रकरण में अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे का निर्धारण नगर पालिका मण्डल लाडनूँ के पक्ष में

निर्धारित किया गया था। अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे के वास्तविक हकदार व्यक्ति के निर्धारण का अधिकार विधि अनुसार मध्यस्थ को नहीं होकर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अधिकारी को है। एन. एच. एक्ट की धारा 3एच(2व3) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अधिकारी द्वारा वास्तविक हकदार व्यक्ति को मुआवजा राशि सुपुर्द किये जाने का प्रावधान है। इसलिए सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अधिकारी को विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत वास्तविक हकदार व्यक्ति का निर्धारण कर मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही की जानी चाहिए।

5(4)- अवार्ड दिनांक 26.09.2016 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 18.02.2015 का दो समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं दी टाइम्स ऑफ इण्डिया में दिनांक 26.05.2015 को प्रकाशन कर आपत्तियां आमंत्रित की गई थी, जिसके संबंध में प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर अनुज्ञात कर दिया। तदुपरान्त केन्द्रीय सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3डी की दिनांक 02.02.2016 को अधिसूचना जारी की जिसका दो समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं दी टाइम्स ऑफ इण्डिया में दिनांक 11.03.2016 को प्रकाशन करवाया गया एवं एक विज्ञप्ति सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी लाडनूँ के कार्यालय के क्रमांक-राजस्व/16/67 दिनांक 03.03.2016 को जारी कर अवाप्ताधीन भूमि के हितधारकों की दावा/आपत्तियां 21 दिन के अन्तर्गत आमंत्रित की गई एवं इस संबंध में प्राप्त आपत्तियां एवं दावे का निस्तारण कर दिया गया।

उक्तानुसार अधिसूचना के प्रकाशन के समय उसमें खसरा नम्बर 1125 तथा एन.एच.65 हेतु प्रस्तावित मार्गाधिकार का उल्लेख किया गया एवं तत्समय मौके पर सड़क मार्गाधिकार क्षेत्र के संरेखण बिन्दु पर चिन्ह भी बनाये गये थे, इसलिए प्रार्थी का कथन की हस्तगत प्रकरण में अवाप्तशुदा भूमि की अवाप्ति के संबंध में उसे कोई सूचना नहीं दी गई, प्रार्थी का यह कथन निराधार है तथा प्रार्थी द्वारा मुआवजा निर्धारण करने से पूर्व उन्हें सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिये जाने का कथन भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

5(5)- वकील प्रार्थी द्वारा मुआवजे का निर्धारण डी.एल.सी. दर से नहीं करके बाजार दर से किये जाने का कथन है। हस्तगत प्रकरण में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा संबंधित उप पंजीयक द्वारा अवाप्त की जा रही भूमि के ग्राम की डी.एल.सी. दर व उस ग्राम के गत तीन वर्षों के विक्रय लेखपत्र व इकरारनामों की औसत, में से अधिक दर से मार्केट वेल्यू जो कि धारा 3ए की अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक 26.05.2015 को प्रभावी होने से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 26ए के प्रावधानों व अनूसूची-1 तथा इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 के अनुसार डी.एल.सी. दर को आधार मानकर अवाप्तशुदा भूमि की प्रचलित बाजार दर से मुआवजे का निर्धारण किया गया है। उक्तानुसार निर्धारित दर किस प्रकार गलत है, इसके सम्बन्ध में भी वकील प्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

5(6)- वकील प्रार्थी द्वारा मुआवजा का निर्धारण गुणक दो से गुणित किये जाने को लेकर कथन है। वकील प्रार्थी द्वारा मुआवजा का निर्धारण गुणक दो से गुणित करने के संबंध में ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 30(2) के प्रावधानों व अनूसूची-1 के बिन्दु संख्या-2 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में वे कारक जिनके द्वारा बाजार मूल्य को गुणित किया जाना है, के संबंध में उल्लेखित किया गया है कि शहरी क्षेत्र में परियोजना की दूरी के आधार पर, जो समुचित सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाए, 1.00(एक) से 2.00(दो) लिखा गया है एवं नगरीय क्षेत्रों की दशा में वे कारक, जिनके द्वारा बाजार मूल्य गुणित किया जाना है, के संबंध में 1(एक) उल्लेखित किया गया है। इसके अलावा अवार्ड में किये गये विवेचन के अनुसार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 08.08.2016 एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली के क्रमांक 87253 दिनांक 22.08.2016 एवं राजस्व (गुप-6) विभाग जयपुर की अधिसूचना

क्रमांक-प1(3)राज.6/2011/पार्ट/26 दिनांक 14.6.2016 के अनुसार हस्तगत प्रकरण में अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में कारक 1.00 से गुणित किया गया है। इसलिए वकील प्रार्थी का कथन की मुआवजा का निर्धारण गुणांक दो से गुणित किया जावे, ठोस आधारों पर नहीं होने से माने जाने योग्य नहीं है।

5(7)-वकील प्रार्थी ने सिनेमा हॉल के संचालन के संबंध में दिसम्बर 2012 को जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का बिल की प्रति प्रस्तुत की है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी का सिनेमा हाल वर्ष 2012 के पश्चात संचालित नहीं हो रहा है। यदि प्रार्थी का सिनेमा हॉल अवाप्ति के समय संचालित होता तो प्रार्थी अवश्यमेव तत्समय का ही विद्युत बिल प्रस्तुत करता, परन्तु प्रार्थी द्वारा विद्युत बिल उपरोक्तानुसार वर्ष 2012 का पेश किया है। इसलिए सड़क हेतु भूमि अधिग्रहण के समय हॉल बंद होने के कारण प्रार्थी की स्थावर सम्पत्ति के संबंध में अतिरिक्त हानि होना नहीं मानी जा सकती है। इसलिए उक्त संबंध में हस्तगत प्रकरण में अवाप्त शुदा भूमि के लिए अन्य कोई मुआवजा देय नहीं है।

5(8)- वकील प्रार्थी का कथन की सिनेमा हाल का निर्माण सड़क के मध्य बिन्दु से 50 फीट छोड़कर तथा सड़क सीमा से न्यूनतम 42 फीट सेटबेक छोड़ कर अर्थात् सड़क के मध्य बिन्दु से कुल 92 फीट दूरी छोड़ कर सिनेमा हाल का निर्माण करवाया गया। उक्त 42 फीट की भूमि में से भूमि अवाप्त की गई है। उक्त संबंध में वकील प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रकरण में उसकी अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में एक नक्शा की छाया प्रति प्रस्तुत की है, परन्तु उक्त छाया प्रति किसी सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित/प्रमाणित नहीं है। वकील प्रार्थी ने उक्त नक्शे के आधार पर उसकी 110 गुणा 25 अर्थात् 2750वर्ग फुट भूमि अवाप्त की जाने का कथन किया। जबकि राजपैरोकार ने कथन किया है कि हस्तगत प्रकरण में 1375 वर्गफुट भूमि ही अवाप्त की गई है। वकील प्रार्थी द्वारा सिनेमा प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण के संबंध में जिला कलक्टर कार्यालय नागौर के आदेश दिनांक 27.12.99 की शर्त संख्या-7 के अनुसार कालू उर्फ सुनील(प्रार्थी) एवं दिलीप कुमार को सड़क के मध्य से कम से कम 50 फीट दूरी छोड़ने तथा सड़क सीमा से न्यूनतम 42 फीट सेट बैक छोड़ने अर्थात् इस प्रकार भवन का निर्माण सड़क के मध्य बिन्दु से न्यूनतम 92 फीट की दूरी पर करवाये जाने की शर्त है। वकील प्रार्थी के अनुसार उसके द्वारा निर्माण सड़क के मध्य बिन्दु से 50 फीट दूरी छोड़ी गई है एवं सड़क सीमा से 42 फीट सेटबेक छोड़ा जाकर निर्माण कार्य करवाया गया है और सेटबैक की भूमि में से उसकी 110 गुणा 25 अर्थात् 2750वर्ग फुट भूमि अवाप्त की जाने का कथन किया है। इस प्रकार वकील प्रार्थी के उक्त कथनों की विश्वनीयता के संबंध में न्यायहित में हस्तगत प्रकरण में वास्तव में कितनी भूमि अवाप्ति में गई, के संबंध में विधि अनुसार जाँच कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी को निर्देशित किया जाना विधि सम्मत है।

5(9)- वकील प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि में चार दीवारी तथा जनरेटर रूम व अन्य कमरे का निर्माण किया हुआ होना जिसके संबंध में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा किसी प्रकार के मुआवजे का निर्धारण नहीं किया जाने का कथन किया है। हस्तगत प्रकरण के संबंध में वकील अप्रार्थी ने सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी लाडनू द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 22.08.2017 की प्रति प्रस्तुत कर कथन किया की हस्तगत प्रकरण में अवाप्तशुदा भूमि स्थित संनिर्माण के संबंध में प्रार्थी के पिता श्री श्याम जी खाती के नाम से 91316/-रुपये का मुआवजा का निर्धारण किया जा चुका है। राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने कथन किया की उक्त संनिर्माण का राशि 91316/-रुपये के संबंध में पुनः मूल्यांकन सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लाडनू से करवाये जाने पर पुनर्मूल्यांकन राशि रूपये 3,42,914/- (सोलिशियम सहित) मूल्यांकित हुई है। प्रार्थी को 261598/-भुगतान योग्य माना है, परन्तु उक्त राशि का मुआवजा निर्धारण के संबंध में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस प्रकार राजपैरोकार श्री कुन्दसिंह आचीणा के उक्त कथनानुसार अवाप्तशुदा भूमि में स्थित संनिर्माण का पुनर्निर्धारित का मुआवजा यदि नियमान्तर्गत देय हो तो, ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अधिकारी द्वारा उक्त संबंध में विधि अनुसार मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही की जानी चाहिए। इसके साथ ही सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अधिकारी द्वारा संनिर्माण के संबंध में मुआवजा निर्धारण के संबंध में कार्यवाही करते समय इस तथ्य को भी संज्ञान में रखना चाहिए कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में जिला कलक्टर नागौर द्वारा सिनेमा हेतु भूमि रूपान्तरण आदेश दिनांक 27.12.99 के बिन्दु संख्या-7 में उल्लेखित शर्त के अनुसार दिलीप कुमार एवं कालू उर्फ सुनील को सड़क के मध्य बिन्दु से कम से कम 50 फीट दूरी छोड़ने तथा सड़क सीमा से न्यूनतम 42 फीट सेट बेक छोड़ने अर्थात् भवन का निर्माण सड़क मध्य बिन्दु से 92 फीट की दूरी पर



117
कलक्टर, नागौर

करवाये जाने की शर्त है। इस प्रकार यदि सड़क के मध्य बिन्दु से 92 फीट की दूरी के मध्य किया गया कोई भी निर्माण उक्त शर्त के उल्लंघन में किया हुआ होने से ऐसे किसी भी निर्माण का मुआवजा देय नहीं बनता है।”

5(1)—सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी लाडनू द्वारा उपरोक्तानुसार इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2018 में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रकरण संख्या 1/2018 दिनांक 09.04.2018 को दर्ज कर संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किये गये। जिसमें दोनों पक्षों द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया एवं दिनांक 25.07.2018 को पक्षकारान की बहस सुनी गई। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों, तहसीलदार व पटवारी लाडनू की जाँच एवं सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग लाडनू की उक्त अवाप्तशुदा भूमि में स्थित संनिर्माणों की मूल्यांकन रिपोर्ट एवं रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या 6/2018 की पालना में पत्रांक 149 दिनांक 12.02.2018 को इस न्यायालय को प्रेषित बिन्दुवार टिप्पणी आदि दस्तावेजों के अवलोकन एवं दोनों पक्षकारों की बहस के पश्चात सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी लाडनू ने दिनांक 06.08.2018 को निर्णय किया गया, जिसके अनुसार यह आदेश दिये गये कि ग्राम लाडनू के खसरा नम्बर 1125 वर्तमान तरमीम खसरा नम्बर 1125/1 में से दिलीप कुमार एवं सुनिल उर्फ कालू की सिनेमा प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग 65 हेतु अवाप्तशुदा 12.5 गुण अर्थात् 1375 वर्गफीट अर्थात् 127.78 वर्गमीटर अर्थात् 0.0127 हैक्टर भूमि का मुआवजा व्यावसायिक दर से निर्धारण किया जावे एवं उक्त अवाप्तशुदा भूमि पर किये गये निर्माण का मुआवजा भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत निर्धारण किया जाकर परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार परियोजना कियान्वयन इकाई सीकर को प्रकरण का संशोधित अवार्ड जारी कर भेजा जावे। उक्त निर्णय दिनांक 06.08.2018 के अनुपालना में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी लाडनू द्वारा हस्तगत प्रकरण में ग्राम लाडनू के वार्ड संख्या 24 खसरा नम्बर 1125/1 रकबा 127 वर्गमीटर भूमि का कुल मुआवजा 1,32,46,352/-रूपये तथा संनिर्माणों का कुल मुआवजा 3,42,914/-रूपये अर्थात् अवाप्तशुदा भूमि एवं उसमें स्थित संनिर्माणों का कुल मुआवजा राशि 1,35,89,266/-रूपये का संशोधित अवार्ड दिनांक 20.09.2018 को पारित किया गया एवं उक्तानुसार भूमि एवं उसमें स्थित संनिर्माणों की कुल मुआवजा राशि 1,35,89,266/-रूपये में से पूर्व में अवाप्त भूमि की स्वीकृत राशि 1,35,416/- व संनिर्माणों की पूर्व में स्वीकृत राशि 91,316/- कुल 2,26,732/-रूपये जो इन्ही हितधारियों को देय है, को कम करते हुए 1,33,62,534/- (अक्षरे एक करोड़ तेतीस लाख बासठ हजार पांच सौ चौतिस रूपये मात्र) मुआवजा राशि निर्धारित की गई है। उक्त संशोधित अवार्ड दिनांक 20.09.2018 के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5(2)—लीज डीड अप्रार्थी संख्या 1 व दिलीप कुमार के पक्ष में दिनांक 04.01.2000 को जारी की गई किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त लीज डीड की शर्तों के अनुसार उस का पंजीयन अर्थात् रजिस्ट्रेशन दिए गये समय अनुसार नहीं कराया गया तथा विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त लीज डीड का रजिस्ट्रेशन दिनांक 29.12.2017 को करवाया गया है जबकि वास्तविकता तो यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त लीज डीड का पंजीयन यथा समय लगभग 1 माह पश्चात कराया जाना आवश्यक था किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा इस शर्त का उल्लंघन करते हुए लीज डीड का रजिस्ट्रेशन 29.12.2017 को करवाया गया जोकि पूर्ण तरह से अवैध अमान्य है तथा इस कारण रेवेन्यू रिकॉर्ड में इस की कोई एंट्री नहीं पाई, को लेकर वकील प्रार्थी का कथन है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण में विद्यमान भूमि का विधिवत् रूप सिनेमा प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाया गया है। तत्पश्चात लीज डीड दिनांक 04.01.2000 को जारी की गई जिसका एक माह में पंजीयन नहीं कराने एवं राजस्व रेकॉर्ड में तदनुसार भूमि की किस्म दर्ज नहीं होने मात्र के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि उक्त भूमि सिनेमा प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि नहीं हो। यह भी उल्लेखनीय है कि नियम 1978 के नियम 9 की शर्तों का उल्लंघन होता है, तो पट्टेदार को सुनवाई का अवसर दिया जाकर जिला कलक्टर/सरकार के द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर शास्ति अधिरोपित करने या भूमि राज्य सरकार में निहित करने का प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में उपर्युक्तानुसार कोई कार्यवाही नहीं हुई है इसलिए आवंटित लीज को निरन्तर वैध ही माना जायेगा।

5(3)—सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी लाडनू के निर्णय दिनांक 06.08.2008 अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में भूमि खसरा नम्बर 1125/1 राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है, जिसकी


किस्म बारानी 1 है। दिलीप कुमार पुत्र संतोष कुमार एवं कालू उर्फ सुनील पुत्र श्याम जागीड ने ग्राम लाडनू की खसरा नम्बर 1125 सड़क के पास 23.48 बिस्वा अर्थात 5115 वर्गफीट अर्थात 1900.78 वर्गमीटर भूमि 22.10.1999 को खातेदारी पुसाराम पुत्र खीयाराम जाट से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा कय की थी। कार्यालय जिला कलक्टर नागौर के पत्र क्रमांक-प.12(83)राज/99/790-795 दिनांक 27.12.1999 से खसरा नम्बर 1125 रकबा 1900.78 वर्गमीटर भूमि श्री दिलीप कुमार एवं कालू उर्फ सुनील के नाम राजस्थान भू राजस्व (सिनेमा, हॉटल व पेट्रोल पम्प) नियम 1978 के तहत सिनेमा प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित की गई, जिसमें शर्त संख्या-7 के अनुसार सड़क के मध्य से कम से कम 50 फीट छोड़कर एवं तत्पश्चात सड़क सीमा से 42 फीट सेट बेक छोड़कर अर्थात भवन का निर्माण सड़क के मध्य बिन्दु से 92 फीट की दूरी पर करवाने की शर्त निर्धारित की गई थी। हस्तगत प्रकरण में भूखण्ड के अन्दर सैट बेक 42 फिट छोटा गया है, एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार "सेटबेक" से उन न्यूनतम दूरियां जो भू-खण्ड की सीमा रेखाओं से भू-खण्ड के अन्दर विधिपूर्वक किसी भवन की कुर्सी का निर्माण किया जा सकता है, से अभिप्रेत है। इससे स्पष्ट है कि सेटबेक रूपान्तरित भूमि के अन्दर से छोड़ा जाता है। इसलिए सेटबेक भूमि रूपान्तरित भूमि की श्रेणी की होती है व सैटबेक सहित कुल भूमि का मुआवजा रूपान्तरित दर से तय किया जाना उचित है। उक्त संबंध में लीजडीड दिलीप कुमार एवं कालू उर्फ सुनील के नाम दिनांक 04.01.2000 को 20 वर्ष हेतु ग्राम लाडनू के खसरा नम्बर 1125 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि की जिला कलक्टर नागौर के द्वारा जारी की गई थी, किन्तु राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन नहीं किया गया था। राजस्थान भू राजस्व (सिनेमा, हॉटल व पेट्रोल पम्प) नियम 1978 के तहत सिनेमा प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित आदेश दिनांक 27.12.1999 की प्रति तहसीलदार लाडनू को भी भिजवाई गई है, जिसके अनुसार तहसीलदार लाडनू का दायित्व था की वह नामान्तरण दर्ज कर भूमि की किस्म परिवर्तन दर्ज करे। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी लाडनू ने भूमि सिनेमा प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि मानकर सुनील उर्फ कालू को सिनेमा प्रयोजनार्थ रूपान्तरित दर से मुआवजा दिया जाना उचित माना है। उक्त वादग्रस्त भूमि सिनेमा प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि होने से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि ही है। अतः उक्त संबंध में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी लाडनू द्वारा पारित संशोधित अवार्ड दिनांक 20.09.2018 उचित है।

5(4)- राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3डी में अधिसूचित होने से राजस्व रिकार्ड को शुद्ध करने व अपडेट करने से भूमि के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भूमि सड़क के लिए अवाप्त हो चुकी है और सड़क मूल खसरा नम्बर 1125 में से 0.0180 वर्गमीटर भूमि में से ही गुजरी है, जो भूमि खसरा नम्बर 1125/1 के लीज होल्डर की निविदादित है। खसरा नम्बर 1125/1 तरमीम नहीं होने के कारण अब भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उक्त वास्तविक स्थिति अनुसार खसरा नम्बर 1125/1 में से भूमि अवाप्त होने बाबत अवार्ड पारित किया जो पूर्णतया न्यायोचित है।

5(5)-सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी लाडनू के निर्णय दिनांक 06.08.2008 अनुसार तहसीलदार लाडनू की रिपोर्ट दिनांक 04.06.2018 के संलग्न पटवारी पटवारी लाडनू की रिपोर्ट दिनांक 30.05.2008 के आधार पर खसरा नम्बर 1125 में से 0.0180 हैक्टर भूमि अवाप्त हुई जिसमें से खसरा नम्बर 1125/1 सिनेमा हॉल की भूमि 12.5 गुणा 110 अर्थात 1375 वर्गफीट अर्थात 127.78 वर्गमीटर अर्थात 0.0127 हैक्टर भूमि अवाप्त हुई है। इसलिए उक्त भूमि मुआवजा वास्तविक हकदार लीज होल्डर को मानकर मुआवजा दिया जाना उचित माना है। अवाप्तशुदा भूमि के हितबद्ध व्यक्ति का निर्धारण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) को है।

6- अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

7- आदेश सुनाया गया।



(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर

